

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बदिल द्वारा 8 नव नियुक्त अपर न्यायाधीशों को शपथ दलाई गई।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 24 अगस्त को **कोलेजियम** द्वारा केंद्र सरकार को 13 अधिवक्ताओं एवं 4 ज़िला जजों के नाम की हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की संसुतुत की गई थी, जिनमें से 8 अधिवक्ताओं को अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- नियुक्त होने वाले अपर न्यायाधीशों में जस्टिस चंद्र कुमार राय, कृष्ण पहल, समीर जैन, आशुतोष श्रीवास्तव, सुभाषा वदियार्थी, बृजराज सहि, प्रकाश मशिरा एवं जस्टिस विकास शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 224** में यह प्रावधान है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तत्समय बढ़ा देनी चाहिये तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हति व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये जो वह निर्दिष्ट करे, उस न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/appointment-of-additional-judges>